झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/679/2019– 541874 5 स्वी /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **भौरा बाँध बराज योजना के पुनरूद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 1490.95 लाख (रूपये चौदह करोड़ नब्बे लाख पंचानवे हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर परिक्षेत्राधीन गोड्डा जिलान्तर्गत भौरा बाँध बराज योजना के पुनरूद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 1490.95 लाख (रूपये चौदह करोड़ नब्बे लाख पंचानवे हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. भौरा बाँध बराज योजना में 4 (चार) अदद् बड़ा गेट जो पुरानी पद्धति विंच–क्रैव (Winch-crab) के द्वारा संचालित है। इसके मुख्य नहर की लम्बाई 200 चेन (6.09 कि०मी०) है। इसके दो वितरणियाँ चंदा और कस्वा, जिसकी लम्बाई क्रमशः 183 चेन (5.58 कि०मी०) तथा 203 चेन (6.19 कि०मी०) है। इसके मुख्य नहर के कुल जलश्राव 60 क्यूसेक है। योजना का खरीफ सिंचाई क्षमता 1800 हे० है।
4. इस योजना के चेन संख्या 0.00 से चेन संख्या 200 तक पी०सी०सी० लाईनिंग तथा नहर के विभिन्न चेनों पर Outlet, Inlet, Fall तथा Aqueduct का renovation कार्य कराया जाएगा।
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य के लिए कुल रू० 1490.95 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नवत् है –

Sl. No.	Component	Amount (in Rs.)
1	D- Regulator	3546998.58
2	E- Fall	2388255.61
3	F- C.D. Works	1697740.03
4	L- Earth Work & Lining	123519924.19
	Total :-	**131152918.41**
	Add : GST - 12%	15738350.21
	Total :-	**146891268.62**
	Add : 1% L.Cess	1468912.69
	Add : ½% Contingency	734456.34
	Grand Total :-	**149094637.65**
	Say :-	**Rs. 1490.95 lakh**

C:\sam\Node 5\L Kr\Sanlekh for Bhoura Bandh 14.01.19.doc

6. इस कार्य के उपरान्त 600 हे० में सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।

7. यह कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर जून 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

8. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय

   मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उप शीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-800-54-05-45)

10. वर्ष 2018–19 के लिये स्वीकृत बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

    शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 45 में रू० 30000.00 लाख

11. इस योजना का कार्यान्वयन सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर महगामा द्वारा कराया जायेगा। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर महगामा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

12. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. कार्य के लिये राशि की निकासी गोड्डा कोषागार, गोड्डा से की जायेगी।

14. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

15. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

17. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरूण कुमार सिंह) 31.1.19

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/679/2019— 54/18-19 पृ.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना —सह— वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/679/2019— 54/18-19 पृ.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा कोषागार, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/679/2019— 54/18-19 पृ.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर महगामा/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/679/2019— 54/18-19 पृ.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :— उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/679/2019— 54/18-19 पृ.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)